रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240133
CG-DL-E-09112022-240133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944
No. 719]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 807(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में वाहन चालक (विशेष ग्रेड) के पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त शीर्षक का प्रारम्भ** :- (1) इन नियमों को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, वाहन चालक (विशेष ग्रेड), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उससे संबंधित स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) के रूप में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:-** उक्त पद की भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वहीं होगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. **अपात्रता-** कोई भी व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित हो; या

(ख) जिसने, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद की नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि विवाह के लिए ऐसे व्यक्ति के या अन्य पक्ष के व्यक्तिगत नियम के तहत या ऐसा करने के लिए किसी अन्य आधार पर ऐसे विवाह की अनुमति है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहां पर केन्द्र सरकार की राय है कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस आदेश द्वारा ऐसा करना आवश्यक व्यावहारिक है, तो व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में छूट दी जा सकती है।

7. **बचत-** इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की अनुपालन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को ये नियम प्रभावित नही करेंगे।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अपेक्षित योग्ताएं
मोटर चालक (विशेष ग्रेड)	1 (2022)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'बी', अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रूपये 35400-112400 के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	गैर-चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11	12	13
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिणिक योग्यता पदोन्नतों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसका संघटन क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति से	पदोन्नति:- ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा में साथ रूपये 29200-92300/- के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में मोटर चालक (ग्रेड-।) टिप्पणी: जहां कनिष्ठ अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में शामिल है: 1 ''निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता-अध्यक्ष;	यूपीएससी के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

			वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और जिन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी योग्यता या पात्रता पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्च ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	2. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य; 3. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य, विभागीय स्थायीकरण समिति 1. निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता (अध्यक्ष) 2. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता (सदस्य) 3. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता (सदस्य)	

[फा. सं. 01/03/2020-सीएसजेड]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

G.S.R. No. 807(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Motor Driver (Special Grade) in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

2. Short title commencement. – (1) These rules may be called the Zoological Survey of India, Motor Driver (Special Grade), Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, –

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
Motor Driver (Special Grade)	1 (2022)* *Subject to variation depend on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the Pay Matrix of Rs. 35400-112400/-	Non-Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

8	9	10	11	12	13
Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
not applicable.	2 years'	100% by Promotion.	Promotion:- Motor Driver (Grade-I) in the Level-5 in the pay matrix of Rs. 29200-92300/- with 3 years' regular service in the grade thereto. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of: 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata-Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata-Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata-Member. Departmental Confirmation Committee 1. Director, Zoological Survey of	Consultation with UPSC is not necessary.

				India, Kolkata (Chairman) 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata (member) 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata (Member)	

[F. No. 01/03/2020-CSZ]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.09 20:55:01 +05'30'